।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत गुजूकी

दावा संख्या	तारीख दायर	तारीख प्रारम्भिक डिक्री
1/96	16.09.2020	09.11.2021

01– रमेश चन्द पुत्र पाचूराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गुजूकी तहसील अलवर —वादी

बनाम

01– बनवारी लाल पुत्र पाचूराम जाति ब्राहमण (मृतक)

1/1 गिर्राज प्रसाद पुत्र बनवारी लाल

1/2 अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासियान ग्राम गुजूकी तहसील अलवर।

1/3 सुनीता पुत्री बनवारी लाल पत्नी सुनील शर्मा निवासी मकान नम्बर 544बी, स्कीम नं० 2, अलवर

1/4 मंजू पुत्री बनवारी लाल पत्नी सुशील शर्मा, मकान नं० 419ए, साउथ वेस्ट ब्लॉक, अलवर।

1/5 रन्जना पुत्री बनवारी लाल पत्नी विष्णु दत्त शर्मा मकान नं० 751/24, गली नं०9, सुभाष नगर, खानपुरा रोड, अजमेर

02– श्योप्रसाद पुत्र पाचूराम जाति ब्राहमण।

03– अनिता शर्मा पत्नी अशोक शर्मा जाति ब्राहमण।

04– तारावती पत्नी गिर्राज शर्मा जाति ब्राहमण।

05– राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर अलवर।

06– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) अलवर।

07– आशा शर्मा पत्नी हरिश चन्द शर्मा, निवासी 27/132, शर्मा कॉलोनी, मेहन्दी बाग, लाल डिग्गी सर्किल, अलवर

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 दावा बाबत तकसीम आराजीयात, इश्तकरारहक व हुकमइम्तनाई दवामी

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 16 ऐयर, 181 रकबा 18 ऐयर में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1/1 लगा० 1/5 का व 1/4 हिस्सा वादी का एवं 1/4 हिस्सा विरजी पत्नी पाचूराम व प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा है जो रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। 1/4 हिस्सा जो विरजी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

पत्नी पाचूराम का था वह वादी व प्रतिवादी सं० 02 की माता थी तथा प्रतिवादी सं० 1/1 लगा० 1/5 की दादी थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। जिसका हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा० 1/5 व 02 को प्राप्त हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा० 1/5 व 02 विरजी पत्नी पाचूराम के वारिसान है। जिससे उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3–1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा० 1/5 का 1/3 हिस्से में से 1/5 – 1/5 हिस्सा है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा० 1/5 व 02 खातेदार काश्तकार है, जो आराजी अविभाजित है। आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 54 ऐयर, 185 रकबा 4 ऐयर, 188 रकबा 2 ऐयर, 220 रकबा 87 ऐयर, 221 रकबा 89 ऐयर, 225 रकबा 83 ऐयर, 278 रकबा 24 ऐयर, 280 रकबा 46 ऐयर, 368 रकबा 2 ऐयर, 369 रकबा 51 ऐयर, 370 रकबा 46 ऐयर, 371 रकबा 25 ऐयर, 376 रकबा 4 ऐयर, 666 रकबा 64 ऐयर, 669 रकबा 96 ऐयर वाके ग्राम गुजूकी विवादित आराजी है। जिसमें 113/759 प्रतिवादी संख्या 03 का व 140/759 प्रतिवादी संख्या 04 का है व 1/3 हिस्सा वादी का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का है। प्रतिवादी संख्या 3 ने खसरा नम्बर 666 रकबा 0.64 है० व 669 रकबा 0.96 है० कुल किता 2 रकबा 1.60 है० में से 13/160 हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 21.10.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या–7 आशा शर्मा पत्नी हरीश चन्द को बेचान कर दिया है। मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 इसी प्रकार काबिज है व काश्त करते चले आ रहे है। आराजी अविभाजित है। वादी को प्रतिवादी सं० 1/1 लगा० 1/5, 2, 3 व 4 उसके हिस्से के अनुसार आराजी में काश्त कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते है। वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 1/1 लगा० 1/5, 2, 3 व 4 को काफी बार विवादित आराजी का बटवारा करने हेतु कहा गया, परन्तु प्रतिवादी सं० 1/1 लगा० 1/5, 2, 3 व 4 टाल बाल करते रहे। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी का बटवारा मुताबिक जमाबन्दी करने से कतई इन्कार कर दिया है, अपितु प्रतिवादीगण ने वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी है व कार्यकाश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा आराजी को बिना तकसीम हुऐ रहन बय करने पर आमादा है। जिस कारण से अबट आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3–1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा० 1/5 का 1/3 हिस्से में से 1/5–1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 113/759 व प्रतिवादी संख्या 04 का 140/759 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ने खसरा नम्बर 666 रकबा 0.64 है० व 669 रकबा 0.96 है० कुल किता 2 रकबा 1.60 है० में से 13/160 हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 21.10.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या–7 आशा शर्मा पत्नी हरीश चन्द को बेचान कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

है को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर मौके पर कुर्रेजात बनाये जाकर अलग से खाता कायम किये जाने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.9.2019 को काउण्टर क्लेम नोट प्रेस में खारिज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। तकासमा करने बाबत सहमति का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में कैम्प ग्राम पंचायत गुजूकी में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। विवादित आराजी का विभाजन अभी तक नही हुआ है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त भूमि विभाजित कराने के वादी एवं प्रतिवादी अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि अभी भी अविभाजित एवं शामलाती भूमि है तथा उभयपक्षकारान सम्पूर्ण विवादित आराजी के सहखातेदार है एवं वैधानिक रूप से प्रत्येक इंच भूमि में सभी का अधिकार है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार विवादित आराजी को तकसीम कराने का अधिकारी है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजित किया जाना उचित समझते हुए वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 16 ऐयर, 181 रकबा 18 ऐयर, 175 रकबा 54 ऐयर, 185 रकबा 4 ऐयर, 188 रकबा 2 ऐयर, 220 रकबा 87 ऐयर, 221 रकबा 89 ऐयर, 225 रकबा 83 ऐयर, 278 रकबा 24 ऐयर, 280 रकबा 46 ऐयर, 368 रकबा 2 ऐयर, 369 रकबा 51 ऐयर, 370 रकबा 46 ऐयर, 371 रकबा 25 ऐयर, 376 रकबा 4 ऐयर, 666 रकबा 64 ऐयर, 669 रकबा 96 ऐयर वाके ग्राम गुजूकी को मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर रिकार्ड एवं मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे में विभाजन को प्रदर्शित करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 23/12/21 से पूर्व प्रस्तुत करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत गुजूकी में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली दिनांक 23/12/2021 को पेश हो।

(प्यारे लाल सोंटवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
कैम्प – ग्राम पंचायत गुजूकी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्यारे लाल सौंठवाल RAS

उनवान

रमेश चन्द बनाम बनवारी लाल वगै०

दावा बाबत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 1/96

निर्णय दिनांक :– 09.11.2021

वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.11.2021 को अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प ग्राम पंचायत गुजूकी में पेश होने पर, आदेश किया जाता है, वादी का वाद प्रारम्भिक डिग्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 16 ऐयर, 181 रकबा 18 ऐयर, 175 रकबा 54 ऐयर, 185 रकबा 4 ऐयर, 188 रकबा 2 ऐयर, 220 रकबा 87 ऐयर, 221 रकबा 89 ऐयर, 225 रकबा 83 ऐयर, 278 रकबा 24 ऐयर, 280 रकबा 46 ऐयर, 368 रकबा 2 ऐयर, 369 रकबा 51 ऐयर, 370 रकबा 46 ऐयर, 371 रकबा 25 ऐयर, 376 रकबा 4 ऐयर, 666 रकबा 64 ऐयर, 669 रकबा 96 ऐयर वाके ग्राम गुजूकी को मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर रिकार्ड एवं मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे में विभाजन को प्रर्दशित करते हुए भिजवावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.11.2021. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया